



भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
संपदा विभाग Estate Department
बेंगलूरु Bengaluru

भारतीय रिज़र्व बैंक बेंगलूरु में बैंक कार्यालय भवन और परिसर में बागवानी, फर्श पौधों और ऊर्ध्वाधर बागवानी कार्य के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध।

बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त

ई-निविदा संख्या: [RBI/Bangalore Regional Office/Estate/69/25-26/ET/994](#)

उपरोक्त कार्यों के लिए 'प्री-बिड मीटिंग' 19 फरवरी, 2026 को दोपहर 03.00 बजे संपदा विभाग, दूसरी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु में निर्धारित की गई थी। कोई भी बोलीदाता इसमें शामिल नहीं हुआ। हालाँकि, मेसर्स स्वास्तिक इलेक्ट्रोटेक प्रा. लिमिटेड ने बोली-पूर्व बैठक के लिए मेल के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न/मुद्दे उठाए। इनमें से प्रत्येक प्रश्न/मुद्दे के संबंध में बैंक द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	प्रश्न/प्रस्ताव/मौजूदा स्थिति	बैंक की प्रतिक्रिया/संशोधित शर्त
1	पृष्ठ संख्या 31 ख) का बिंदु क्रमांक 22: ग्रेच्युटी – अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए समाप्त होता है तथा दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है, जो 12 महीने की नियमित सेवा के पश्चात् लागू होता है। इस संबंध में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर, वास्तविक सेवा संवितरण के अनुसार ग्रेच्युटी की प्रतिपूर्ति को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान करें।	ठेकेदार द्वारा सभी संबंधित लागतों को उद्धृत राशि के भीतर सम्मिलित किया जाना है, तथा ग्रेच्युटी के लिए कोई पृथक प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
2	पृष्ठ संख्या 36 क्रम संख्या 9: स्पिंकलर (पोर्टेबल) पहले से स्थापित या क्या और	इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी निविदाएँ जमा करने से पूर्व परिसर से परिचित होने हेतु साइट का दौरा करें तथा

	कृपया स्प्रिंकलर पाइप लाइन क्षेत्र के लिए क्षेत्र स्पष्ट करें	कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक पोर्टेबल स्प्रिंकलरों की संख्या निर्धारित करें।
3	पृष्ठ संख्या 40 पर उल्लिखित इनडोर पौधों की सूची में वार्षिक आवश्यकता का उल्लेख अनुपस्थित है। कृपया इस बिंदु को स्पष्ट करें।	प्रदान किए गए पौधों के नामों की सूची सांकेतिक है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे मात्रा का निर्धारण करने हेतु साइट का दौरा करें।
4	यह घोषित किया गया है कि सभी कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा, जो उद्धृत दरों में सम्मिलित किया जाएगा अथवा अलग से प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकार किया जाएगा।	सभी श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा उद्धृत दर में सम्मिलित होना चाहिए तथा इसकी प्रतिपूर्ति अलग से नहीं की जाएगी।

नोट: उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा होगा। निविदा दस्तावेज के अन्य सभी भाग अपरिवर्तित बने हुए हैं। निविदाओं को प्रस्तुत करने का अर्थ यह माना जाएगा कि यह बोली दस्तावेज और संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप है। असमानता की स्थिति में अंग्रेजी में प्री-बिड मीटिंग के मिनट्स को मान्य माना जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंगलुरु